न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियॉं आर.ए.एस.

अपील संख्या 227/2012
आरसीएमएस नं. 2012/00117

हरिसिंह पुत्र श्री आदुराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमागनढ। – अपीलान्ट

बनाम

1. श्योकरण पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. चुन्नी पत्नी उदाराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मनीराम
4. जयसिंह
} पुत्रगण उदाराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सावित्री
6. विद्या देवी
7. भादो
} पुत्रीयान उदाराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. लिखमा पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
   8/1 महावीर
   8/2 भूप सिंह
   8/3 हनुमान
   8/4 शिशपाल
   8/5 बलवान
   } पुत्रगण लिखामाराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
   8/6 मोहनी
   8/7 कमला
   8/8 गुड्डी
   8/9 जमना
   } पुत्रीयां लिखमाराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. विरेन्द्र पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया त0 नोहर
10. चन्दो
11. ओमवती
} पुत्रीयान काशीराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानीया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

12. कृष्ण कुमार पुत्र रणजीत सिंह जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसल नोहर जिला हनुमानगढ।
13. बगड़ावत पुत्र लिछमणराम जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानीया तहसील नोहर।
14. देवीलाल
15. लाजपतराम
16. सुभाष

} पुत्रगण सुरजाराम जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।

17. मु. बादो पत्नी आत्माराम जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
18. दलीप
19. सतपाल

} पुत्रगण आत्माराम जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानीया तहसील नोहर

20. राजेन्द्र पुत्र मूलाराम जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
21. मु. गन्नी देवी पत्नी हरिसिंह जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।
22. बलवीर
23. प्रताप
24. महावीर
25. धर्मपाल
26. दयाराम

} पुत्रगण हरिसिंह जाति जाट साकिन ललानाबास नथ्वानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

– **रेस्पोडैन्ट**

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.12.2012
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर ।
वाद संख्या 176/2005
अनवान श्योकरण आदि बनाम लिखमा आदि

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1
श्री अंजनी तिवाड़ी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 8/1 से 8/9

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक – 20.7.23

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया वादपत्र में कथन किया कि रोही ललानाबास नथवानिया के साबिका खसरा नं. 120 की 180.05 बीघा भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादी सं0 4 के दादा आदूराम तथा प्रतिवादीगण नं. 4 ता 7 की मुश्तर्का खातेदारी भूमि थी। जिमसें वादीगण का निस्फ तथा प्रतिवादीगण मु0 मनी बेवा हजाराराम के बहिस्सा बराबर निस्फ हिस्सा था। उपरोक्त कृषि भूमि का फरीकेन दावा ने बाहमी तकासमा कर लिया था और मुताबिक बाहमी बंटवारा फरीकेन के पास खसरा नं. 20 की 60 बीघा भूमि आई व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादीगण सं0 4 के दादा मुतवफी आदू को 27.09 बीघा भूमि मिली थी एवं प्रतिवादी बगड़ावत को 34.15 बीघा सूरजा प्रतिवादी को 18.00 बीघा व हीरा प्रतिवादी को 28 बीघा व मुला पतिवादी को 12 बीघा भूमि थी तथा इसी प्रकार फरीकेन ने अपने अपने खेत कायम कर भूमि काश्त करना शुरू कर दिया तथा इसी कदर उनके नाम कागजात माल में खातेजात कायम हो चुके थे। उपरोक्त भूमि पैमाईश मे नये खसरा में परिवर्तित हो कर पैमूद की जा चुकी है। वादीगण की 60 बीघाभूमि अब नये खसरा नं. 185 की 35.04, 169 की 20.08, 186 की नपश्चिमी तरफ की 4.08 बीघा कुल 60 बीघा में परिवर्तित व पैमूद हो गयी। मुतवफी आदूराम के पास जेसा कि पूर्व में निवेदन किया जा चुका है 27.09 बीघा भूमि थी परन्तु गत पैमाईश में उसके नाम हाल नये खसरा नं. 170 की 12.12, 140 की 6.16, 180 की 1.02, 186 की 12.04, कुल तादादी 32.14 बीघा दर्ज हो गई। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 क पूर्वज आदूराम जो कि वादीगण के पूर्वी तरफ के खेत पड़ौसी थे ने भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों से साज बाज कर कतई गलत व अवैध तौर से वादीगण की 1.08 बीघा भूमि 186 फिट कर अपने नाम गलत दर्ज करवाली और भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण के हाल परिवर्तित खसरा नं. 185 की 3.04, 169 की 20.08 बीघाभूमि उनके नाम सही दर्ज कर दी गयी। मु0 आदूराम के नाम इन्द्राज खतौनी जमाबन्दी संवत 2029 ता 38 पश्चात्वर्ती इन्द्राजात कागजात माल वादीगण के हकूक के खिलाफ है। वादीगण ने इन्द्राज दुरूस्त कर वाद भूमि तादादी 4.08 बीघा जो हाल खसरा नं. 186 में पश्चिम की तरफ फिट की गयी है को प्रतिवादीगण के नाम से कलमजन कराकर अपने नाम बतौर खातेदारी दर्ज करने का अनुतोष मांगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

2. प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जवाब पेश किया कि वादीगण वाद भूमि के किसी श्रेणी के काश्तकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के दादा आदूराज के जीवनकाल में उनके तथा उनके देहान्त के बाद हमारे कब्जा काश्त की भूमि है जो सम्वत 2012 से पूर्व की खातेदारी भूमि है तथा उनके खेत की सींव 40 साल पुरानी है और 32.14 बीघा भूमि का पिछले 40 वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं। संवत 2012 में प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार हो गये थें। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के दादा आदूराम अर्सा दराज पूर्व अपने बाप व भाईयों से अलग हो गये थे व साबिका खसरा नं. 120 की 40 बीघा भूमि सम्वत 2012 से पूर्व ही काश्त करते चले आ रहे थे। सम्वत 2012 में 7 बीघा भूमि भाइयों ने हड़प कर ली तथा सम्वत 2012 में 33 बीघा भूमि काश्त करते आ रहे हैं तथा इतनी ही भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण उनकी भूमि काश्त करते हैं तो हम प्रतिवादीगण का 40 साल से विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होने के कारण प्रतिकूल कब्जा के आधार पर प्रतिवादी खातेदार काश्तकार हो गये हैं वाद वादी खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वाद डिक्री किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय कतई गलत, विधि विरूद्ध व न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन नहीं किया है। अपीलाण्ट ने अपने जवाब दावा में था अपनी मोखिक साक्ष्य में यह स्पष्ट अंकित किया है कि वादीगण वाद भूमि के किसी श्रेणी के काश्तकार नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पिता व 4 के दादा लादूराम के जीवनकाल में व उनके देहान्त के बाद प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 का विवादित कृषि भूमि पर कब्जा काश्त रहा है जो सम्वत 2012 से पूर्व की खातेदारी भूमि है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के खेत की सींव 40 साल पुरानी है और 32.14 बीघा भूमि को पिछले 4 सालों से काश्त करते आ रहे हैं तथा सम्वत 2012 में खातेदार काश्तकार हो गये थे जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श– पी–1 से प्रदर्श पी– 10 व बयान अपीलाण्ट हरीसिंह से साबित है। प्रतिवादी के पूर्वज आदूराम का अर्सा पराज पूर्व अपने पिता एवं भाईयों से अलग हो गये थे तथा वे ही साबिका खसरा नं. 120 की 40 बीघा भूमि सम्वत 2012 से पूर्व ही काश्त करते थे। संवत 2012 में 7 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के दादा आदूराम के भाईयों ने आदूराम से हड़प कर ली और सम्वत 2012 से 33 बीघा भूमि लगातार काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

करते आ रहे है, तथा प्रतिवादीगण इतनी ही भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट सं0 8 से 12 का तथा उनके पूर्वजों का विवादित भूमि पर 40 साल से यानि 60 साल से कब्जा काश्त होने के कारण प्रतिकूल कब्जा के आधार पर ही प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार हो गये हैं। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स सं0 8 से 12 उक्त कथनों की और किसी प्रकार का कोई ध्यान न देकर मात्र रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 7 के पक्ष को मद्देनजर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई तनकी कायम नहीं की। विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 186 की 4.08 बीघा भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है तथा मौका पर खरीफ फसल पड़ी है। अपीलाधीन आदेश की आड में अपीलाण्ट को बेदखल किया जाता है तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार संभव नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रोही ललानाबास नथवानिया के साबिका खसरा नं. 120 की 180.05 बीघा भूमि में वादीगण का निस्फ तथा प्रतिवादीगण मु0 मनी बेवा हजाराराम के बहिस्सा बराबर निस्फ हिस्सा था। उपरोक्त कृषि भूमि का मुताबिक बाहमी बंटवारा फरीकेन के पास खसरा नं. 20 की 60 बीघा भूमि आई व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादीगण सं0 4 के दादा मुतवफी आदू को 27.09 बीघा भूमि मिली थी एवं प्रतिवादी बगड़ावत को 34.15 बीघा सूरजा प्रतिवादी को 18.00 बीघा व हीरा प्रतिवादी को 28 बीघा व मुला पतिवादी को 12 बीघा भूमि थी तथा इसी प्रकार फरीकेन ने अपने अपने खेत कायम कर भूमि काश्त करना शुरू कर दिया तथा इसी कदर उनके नाम कागजात माल में खातेजात कायम हो चुके थे। उपरोक्त भूमि पैमाईश में नये खसरा में परिवर्तित हो कर पैमूद की जा चुकी है। वादीगण की 60 बीघा भूमि अब नये खसरा नं. 185 की 35.04, 169 की 20.08, 186 की पश्चिमी तरफ की 4.08 बीघा कुल 60 बीघा में परिवर्तित व पैमूद हो गयी। मुतवफी आदूराम के पास जैसा कि पूर्व में निवेदन किया जा चुका है 27.09 बीघा भूमि थी परन्तु गत पैमाईश में उसके नाम हाल नये खसरा नं. 170 की 12.12, 140 की 6.16, 180 की 1.02, 186 की 12.04, कुल तादादी 32.14 बीघा दर्ज हो गई। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 के पूर्वज आदूराम जो कि वादीगण के पूर्वी तरफ के खेत पड़ौसी थे ने भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों से साज बाज कर कतई गलत व अवैध तौर से वादीगण की 1.08 बीघा भूमि 186 फिट कर अपने नाम गलत दर्ज करवाली और भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण के हाल परिवर्तित खसरा नं. 185 की 3.04, 169 की 20.08 बीघा भूमि उनके नाम सही दर्ज कर दी गयी। मु0 आदूराम के नाम इन्द्राज खतौनी जमाबन्दी संवत 2029 ता 38

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पश्चात्वर्ती इन्द्राजात कागजात माल वादीगण के हकूक के खिलाफ है। वादीगण ने इन्द्राज दुरूस्त कर वाद भूमि तादादी 4.08 बीघा जो हाल खसरा नं. 186 में पश्चिम की तरफ फिट की गयी है को प्रतिवादीगण के नाम से कलमजन कराकर अपने नाम बतौर खातेदारी दर्ज करने का अनुतोष मांगा था जो विचारण न्यायालय ने स्वीकार किया है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है जो खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2003 आरआरसी पेज 69, 2011 (1) सीसीसी पेज 699, 2011 (2) पेज 721 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध प्रदश–1 से प्रदर्श–6 के अनुसार साबिका खसरा नं. 120 की 180 बीघा 5 बिश्वा भूमि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया की थी जो जमाबन्दी सम्वत 2015 से 18 लिछमण वल्द जालू जाति जाट के नाम निस्फ हिस्सा दर्ज है। वादी के हिस्से में निस्फ हिस्सा दर्ज है। वादीगण के हिस्से में साबिका ख. नं. 120 की 60 बीघा भूमि आई तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादी सं0 4 के दादा आदु की 27.09 बीघा भूमि बाहमी बंटवारा में प्राप्त हुई थी बाहमी बंटवारा के सम्बन्ध मे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वादीगण के साबिका ख. नं. 120 की 60 बीघा भूमि हाल खसरा नं. 185 / 35.04 बीघा 169 की 20.08 बीघा, 186 की 4.8 बीघा पश्चिमी हिस्सा कुल 60 बीघा मे परिवर्तित हुई तथा आदू की 27.09 बीघा भूमि पैमाईश में हाल ख. नं. 170 की 12.12 बीघा, 140 की 6.16 बीघा, 180 की 1.02 बीघा, 186 की 12.04 बीघा में परिवर्तित हुई है जो मिलान क्षेत्रफल से साबित है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2045 मु0 आदु के नाम 27.09 बीघा के स्थान पर 32.14 बीघा दर्ज होना साबित है जो भू प्रबन्ध विभाग विभाग द्वारा दर्ज की गई है जो गलत है। भू प्रबन्ध विभाग को आदु के नाम दर्ज 27.09 बीघा से 32. 14 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था इस प्रकार यह साबित होता है कि आदु के नाम दर्ज ख. नं. 186 की 4.08 बीघा भूमि वादीगण की भूमि है जिसे वादीगण अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 13.07.2005 की पालना में प्रतिवादीगण / अपीलाण्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, ना ही अपील स्तर पर कोई साक्ष्य पेया किया गया है तथा नये नक्शा सन् 1964–65 व पुराने सन् 1952 को सुपर इम्पोज करने पर भी ख. नं. 186 / 4.08 बीघा भूमि वादीगण की पश्चिमी हिस्सा की भूमि साबित होती है इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की होना साबित है। अपीलाण्ट का यह तर्क भी स्वीकार्य नहीं है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर ही अपीलाण्ट खातेदार हो गये हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार सृजित नहीं होते हैं। उक्त तथ्यों के अलावा अपीलाण्ट ने ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील अपलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2012 यथावत रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 20.7.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

20/7/23

(करतार सिंह पूनियाँ)

आर..ए.एस

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या 227/2012

आरसीएमएस नं. 2012/00117

हरिसिंह पुत्र श्री आदुराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमागनढ। – अपीलान्ट

बनाम

1. श्योकरण पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. चुन्नी पत्नी उदाराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहंर जिला हनुमानगढ।
3. मनीराम
4. जयसिंह

   पुत्रगण उदाराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

5. सावित्री
6. विद्या देवी
7. बादो

   पुत्रीयान उदाराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

8. लिखमा पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

   8/1 महावीर
   8/2 भूप सिह
   8/3 हनुमान
   8/4 शिशपाल
   8/5 बलवान

   पुत्रगण लिखामाराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

   8/6 मोहनी
   8/7 कमला
   8/8 गुड्डी
   8/9 जमना

   पुत्रीयां लिखमाराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

9. विरेन्द्र पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया त0 नोहर
10. चन्दो
11. ओमवती

    पुत्रीयान काशीराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानीया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

12. कृष्ण कुमार पुत्र रणजीत सिंह जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसल नोहर जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

13. बगड़ावत पुत्र लिछमणराम जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानीया तहसील नोहर।

14. देवीलाल
15. लाजपतराम
16. सुभाष

पुत्रगण सुरजाराम जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।

17. मु. बादो पत्नी आत्माराम जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।

18. दलीप
19. सतपाल

पुत्रगण आत्माराम जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानीया तहसील नोहर

20. राजेन्द्र पुत्र मूलाराम जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।

21. मु. गन्नी देवी पत्नी हरिसिंह जाति जाट साकिन ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।

22. बलवीर
23. प्रताप
24. महावीर
25. धर्मपाल
26. दयाराम

पुत्रगण हरिसिंह जाति जाट साकिन ललानाबास नथ्वानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

— **रेस्पोडैन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.12.2012
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर ।
वाद संख्या 176 / 2005
[illegible] श्योकरण आदि बनाम लिखमा आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.)

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1, श्री अंजनी तिवाड़ी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 8 / 1 से 8 / 9 की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2012 यथावत रखे जाते हैं।

डिक्री आज दिनांक 20.7.23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी की गई।

20/7/23

(करतार सिंह पूनियाँ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़